# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
## प्रथम लिंक अधिकारी

2025-594 RAABarmer2025-164 RTA225 Tulchharam Vs Bharmalram etc

तुलछाराम पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई, निवासी– बामरला, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।

**अपीलाण्ट ...**

**ब**
**ना**
**म**

1. भारमलराम पुत्र वरीगाराम
2. जमना पत्नी वरीगाराम
3. श्रीराम पुत्र वरीगाराम
4. सदराम पुत्र हरलाल
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण– बारमला, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बामरला, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर।
6. शाखा प्रबंधक द सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
7. श्रीमान तहसीलदार सेडवा, जिला बाड़मेर।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेडवा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2025 भारमलराम व अन्य बनाम तुलछाराम इत्यादि**

**उपस्थित–**
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, श्री अशोक कुमार पूनिया अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
अपीलांट तुलछाराम स्वयं उपस्थित।

## नि र्ण य

**दिनांक : 18 फरवरी 2026**

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेडवा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2025 भारमलराम व अन्य बाम तुलछाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 184 रकबा 24.8635 हैक्टेयर ग्राम बामरला तहसील सेडवा में आने–जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नं. 1118/185 रकबा 7.8670 हैक्टेयर में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी

तथा तहसीलदार सेडवा से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से चार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष द्वारा अदालत हाजा के समक्ष संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता देने हेतु सहमति प्रस्तुत किया, जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी संयुक्त बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत मामले में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य आपसी सहमति के अनुसार रास्ता देने व लेने के बाबत तय किया है जो सलंग्न परिशिष्ट ''क'' के अनुसार 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु सहमत है। रास्ते के रकबे की प्रतिकर राशि पूर्वादेशानुसार ही प्राप्त कर ली जावेगी। अलग से मुआवजा नहीं लिया जावेगा। इस कारण पूर्व आदेश को आंशिक रूप से निरस्त किया जाना आवश्यक है। उभय पक्ष परिशिष्ट ''क'' अनुसार रास्ते के लिए सहमति है तथा भविष्य में इस बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अति. जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष अपील संख्या 33/2025 प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 17.11.2025 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। उक्त स्थगन आदेश में उक्त रास्ते के आदेश के नामांतरकरण की छूट दिया जाना आवश्यक है।

अंत में उभय पक्ष द्वारा संयुक्त रूप से निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं परिशिष्ट ''क'' में लाल स्याही से अंकित रास्ता मार्क ए से बी 20 चौड़ाई अनुसार स्वीकृत किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय सलंग्न परिशिष्ठ ''क'' का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष ने अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से परिशिष्ट ''क'' का निर्माण कर रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के आवागमन हेतु परिशिष्ठ ''क'' के अनुसार खसरा नंबर 1118/185 में से लाल स्याही से अंकित मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा रास्ते देने हेतु अपीलाधीन आदेश के जरिये निर्धारित की गई प्रतिकर राशि में ही सहमति प्रदान की है। उभय पक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में न्याय हित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वांछित रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उभय पक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेडवा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2025 भारमलराम व अन्य बाम तुलछाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या से चार के आवागमन हेतु परिशिष्ट ''क'' के अनुसार खसरा नं. 1118/185 में सें लाल स्याही से दर्शित रास्ता मार्क ए से बी 20 चौड़ाई अनुसार गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेडवा को निर्देशित किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट संख्या एक से चार द्वारा पूर्व में जमा करवायी गई प्रतिकर राशि अपीलांट को अदा कर राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करते हुए तरमीम अंकित करे। परिशिष्ट ''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही उभय पक्ष द्वारा सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाये जाने से अदालत हाजा के उक्त आदेश के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 33/2025 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.11.2025 बाधक नहीं होगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम निर्णायक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

'परिशिष्ट - क'

**राजस्थान सरकार**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर

पटवारी हल्का : बामड़ला

तहसील : सेड़वा

ग्राम : बामड़ला

दिनांक : 18/01/2023 07:59:35 PM

भू. अ. नि. क्षेत्र : बामड़ला

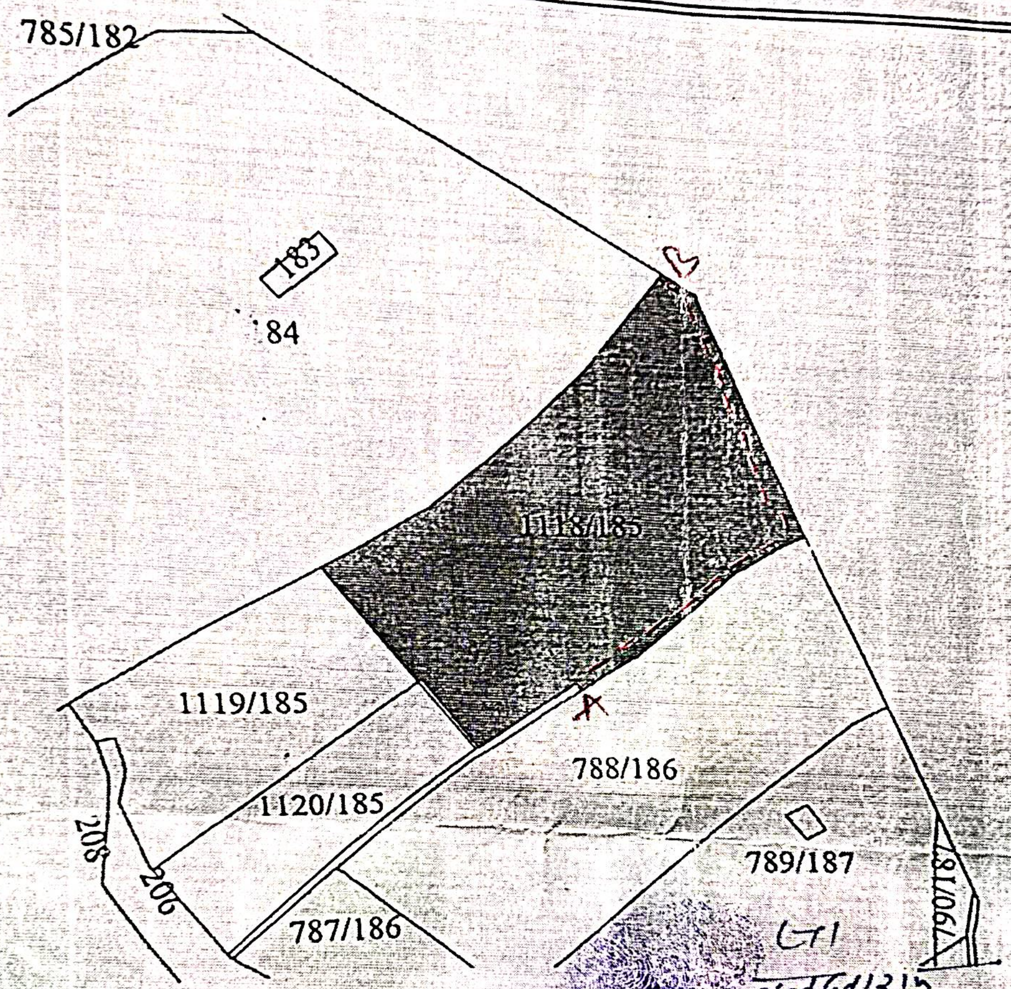


Scale 1:1000

खसरा संख्या :1118/185 क्षेत्रफल : 7.8670 Hectare खाता संख्या : 222पुराना खाता संख्या :79

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान ]: बा.दोयम [ 7.8670, 3.38 ]

1.) तुलसाराम पुत्र भगवानाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा बामडला

प्रमाणित प्रतिलिपि P-35 के क्रमांक ...1aB.BO... पर दर्ज 18/1/23

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

पटवारी (भू.अ.)

प.म.:

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no.: null

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर